न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल, ग्वालियर केम्प उज्जैन (म०प्र०)
R 1232-PB/17 प्र० क्र०.–

श्रीमति वरदीबाई पति रोड़मल जाति गायरी
आयु 50 साल धंधा–खेती निवासी ग्राम जमालपुरा,
तहसील व जिला मंदसौर (म0प्र0) ......आवेदिका

बनाम

1.कारूलाल पिता बालाराम गायरी आयु 55 साल धंधा खेती
2.प्रभुवती पति कारूलाल गायरी आयु 51 साल धंधा खेती
निवासीयान ग्राम कमालपुरा तहसील व जिला मंदसौर
3.फतेहसिंह पिता भारतसिंह राजपुत आयु 55 साल धंधा खेती
निवासी ग्राम जमालपुरा हा.मु. अहीर मोहल्ला,
प्रतापगढ़ (राजस्थान) ....अनावेदकगण

//निगरानी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भु.रा.संहिता1959//

न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय, मंदसौर के निगरानी प्रकरण क्रमांक– 27/निगरानी/09–10 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2010 से परिवेदित होकर जानकारी दिनांक 22.03.2017 से दिनांक 24.03.2017 को नकल मिलने से अगले ही दिन दिनांक 25.03.2017 जानकारी दिनांक से अन्दर म्याद प्रस्तुत है। जो अनुविभागीय अधिकारी महोदय, मंदसौर के प्र.क्रं. 68/अपील/08–09 में पारित आदेश दिनांक 31.10.2009 के विरूद्ध पेश की, जो न्यायालय तहसलीदार परगना मंदसौर के ग्राम जमालपुरा की पंजी क्रमांक–10 पर पारित आदेश दिनांक 05.06.2008 के विरूद्ध पेश की थी।

रिविजन के संक्षिप्त तथ्य निम्नवत् है:–

यह कि ग्राम जमालपुरा स्थित भुमि नं. 449/2 जिसका पुराना सर्वे नम्बर–821/1 रकबा 0.022 में से 0.010 अनावेदक व उसके भाई समरथ द्वारा तथा भुमि सर्वे नं. 449/2 जिसका पुराना नम्बर–421/1 क्षैत्रफल–0.021 रोड़ा ने फतेहसिंह को विक्रय किया तथा फतेहसिंह द्वारा आवेदिका को विक्रय किया, इस प्रकार आवेदिका व अनावेदकगण के मध्य भूमि नम्बर 449/2 जिसका पुराना नम्बर–421/1 होकर का विक्रय विलेख सम्बंधित विवाद होने से अनुविभागीय अधिकारी महोदय, का प्रकरण कनिष्टतम न्यायालय तहसील में प्रत्यावर्तित कर, विसरित जॉच के पश्चत विधिवत आदेश

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1232-पीबीआर/17 **जिला** - मंदसौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	